

बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान -841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154-242099 (कार्या0)
06154-242860 (कार्या0)
06154-242098 (आवास)
06154-242348 (फैक्स)

email: dm-siwan.bih@nic.in

जिलाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक-18.11.2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

1.1-विधि शाखा- बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 का 07 मामला लंबित है, जो निम्नवत है:-

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0- /18 देवानन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर पटना भेज दिया गया है। उन्हें कारण पृक्षा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2	एम0जे0सी0 नं0- /18 उदय कुमार राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर पटना भेज दिया गया है। उन्हें कारण पृक्षा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3	एम0जे0सी0नं0- /18 आलोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है। शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने एवं ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
4	एम0जे0सी0नं0- /18 बबन चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है। शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने एवं ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
5	एम0जे0सी0 नं0: /18 पुरुषोत्तम नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने एवं ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
6	एम0जे0सी0 नं0- /18 सलाउद्दीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने एवं ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
7	एम0जे0सी0 नं0- /18 पृथ्वीराज कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक पदा0, नगर परिषद,सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेज दिया गया है। उन्हें ओथ नम्बर की सूचना विधि शाखा को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1.2-प्रभारी पदाधिकारी,जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :-

क्र०	सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं० 20196/18 ओम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य	शस्त्र दण०	09.10.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में शस्त्र दण्डाधिकारी को इसका ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-18633/18 रेयाज अहमद बनाम बिहार राज्य	शस्त्र दण्डा०	04.10.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में शस्त्र दण्डाधिकारी को इसका ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
3	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं० - 1222/16 रीता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि दिनांक-18.09.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में चार सप्ताह के अंदर तथ्य विवरण दाखिल करना था,लेकिन उसका अबतक अनुपालन नहीं हुआ है।जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब तथ्य विवरणी दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से लंबित एम०जे०सी०/सी०डब्ल्यू०जे०सी० के मामलो की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। निदेश दिया गया कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० के मामले को गंभीरता से लेते हुए ससमय उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि एम०जे०सी० की स्थिति उत्पन्न न हो।

(अनु०-सभी जिला स्तर पदाधिकारी)

2-लोक शिकायत निवारण :- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि अभी कोई विशेष रागरया नहीं है।

3-आर०टी०पी०एस०- आई०टी० मैनेजर द्वारा बताया गया कि पिछले सप्ताह में SSPMIS server डाउन रहने के कारण सामाजिक सुरक्षा के कुल 129 मामले(भगवानपुर हाट-57, दरौली-5,गोरेयाकोठी-3, गुठनी-5, हसनपुरा-3, हुसेनगंज-7,लकड़ी नबीगंज-15, महाराजगंज-2,मैरवा-13, नौतन-10, पचरुखी-1, सीवान सदर-5,जीरादेई-3) कालवाधित प्रतिवेदित हो रहे हैं।

4-विद्युत :- कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं की गई।

5-सहकारिता- जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में अभी कोई समस्या नहीं है।

6-आपूर्ति :- बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

7-खनन :- बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

8-बाढ़ नियंत्रण:- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा बताया गया कि कोई समस्या नहीं ह।

9-निर्वाचन:-अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर द्वारा बताया गया कि भेण्डर को प्रपत्र-6,7 एवं 8 से सम्बंधित चेक लिस्ट प्रपत्र-9,10 एवं 11 निकाल कर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना है, जो अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। चेक लिस्ट की जाँच बी०एल०ओ० के माध्यम से करानी है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रपत्र-9,10 एवं 11 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनके द्वारा बी०एल०ओ० के माध्यम से उसकी जाँच करायी जा सके।

(अनु०-उप निर्वाचन पदाधिकारी/सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी)

10-सामान्य शाखा-

10.1—बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग—प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का एक एक मामला अपर समाहर्ता,सीवान, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान, भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान सदर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिसवन, श्रम अधीक्षक, सीवान एवं उप विकास आयुक्त,सीवान के यहाँ लंबित है और उसके लिए उन्हें स्मार भी दिया गया है। सम्बंधित पदाधिकारियों को 2 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। (अनु०—उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान सदर/श्रम अधीक्षक,सीवान/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,सिसवन)

10.2—राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग—प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त श्री राम लखन मांझी,ग्राम—भीखपुर भगवानपुर ,थाना—एम०एच० नगर का परिवार पत्र उप विकास आयुक्त,सीवान एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,बिहार से प्राप्त मो० पार्वती कुँवर,पति—स्व० ठाकुर गोड, ग्राम—नवतन बनिया टोला का परिवार पत्र अपर समाहर्ता,सीवान के यहाँ प्रतिवेदन हेतु लम्बित है। जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु०—उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता,सीवान)

10.3—विधान सभा/लोक सभा प्रश्न—प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि उप विकास आयुक्त,सीवान के यहाँ 6 एवं जिला खेल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ एक—एक विधान सभा प्रश्न लम्बित है। सम्बंधित पदाधिकारियों को 2 दिनों के अंदर विधान सभा प्रश्नों का उत्तर भेजते हुए उसकी एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को भेजने का निदेश दिया गया। (अनु०—उप विकास आयुक्त,सीवान/ जिला कल्याण पदाधिकारी,सीवान/ जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान/जिला खेल पदाधिकारी,सीवान)

10.4—लोकियुक्तः— प्रभारी पदाधिकारी,जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि श्री विरेन्द्र सिंह, पिता—स्व० साधु शरण सिंह,सा० बरहोगा जदू टोला, थाना—जामोबाजार, जिला—सीवान का मामला अपर समाहर्ता,सीवान के यहाँ प्रतिवेदन हेतु लंबित है। प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०—अपर समाहर्ता, सीवान)

11—विविधः—

11.1— प्रभारी पदाधिकारी,जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से प्राप्त दस्तावेज को नीचे अंकित पदाधिकारियों को जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है,लेकिन अभीतक पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ हैः—

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	जाँच हेतु भेजे गए कुल दस्तावेजों की संख्या	सत्यापन के बाद विभाग द्वारा भेजे गए कुल दस्तावेजों की संख्या	विभिन्न कार्यालयों में लंबित दस्तावेजों की सं०
1	अनुण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर	144	127	17
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज	07	0	07
4	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	284	139	145
5	कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,सीवान	53	13	40

6	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मैरवा	05	03	02
7	कार्यपालक दण्डाधिकारी, महाराजगंज	22	12	10
8	जिला अवर निबंधक, सीवान	55	33	22
9	अवर निबंधक, महाराजगंज	10	0	10
10	अवर निबंधक, बसंतपुर	23	20	3
11	अवर निबंधक, दरौली	12	1	11
12	अवर निबंधक, बड़हरिया	10	0	10

जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित पदाधिकारियों को 2 दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिलाधिकारी
सीवान

ज्ञाप सं0-3138/सी0 दिनांक- 19 वीं नवम्बर, 2018 ई0

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, सीवान/अपर समाहर्ता, सीवान/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/सिविल सर्जन, सीवान/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान, महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान, महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

19.11.18
जिलाधिकारी
सीवान